बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0ज0सं0/नि0प्र0/नि0जांच-09/2026 250 /पटना, दिनांकः-18/8/26

संकल्प

विशेष निगरानी इकाई, पटना के पत्रांक-1780/23/2026/SVU/Pat. दिनांक-14.08.26 द्वारा श्री हरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बांका एवं अन्य के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन करने के आरोप में विशेष निगरानी इकाई थाना-प्राथमिकी सं0-23/26 दिनांक-10.08.26, धारा-13(1)(b)r/w 13(2)r/w 12 of PC Act,1988 (यथा संशोधित-2018) दर्ज किये जाने की सूचना विभाग को दी गयी है ।

2. विशेष निगरानी इकाई, पटना के उक्त प्राथमिकी सं0-23/26 दिनांक-10.08.26 में उल्लेख किया गया है कि श्री हरेन्द्र कुमार के विरूद्ध उनके वैध आय से रू0 कुल-2,20,99,900(दो करोड़ बीस लाख निन्यानवें हजार नौ सौ रूपये) मात्र अधिक की परिसंपत्ति अर्जन का प्रथम द्रष्टया साक्ष्य पाया गया है, जो कि श्री कुमार के वैध आय से लगभग 122.43 प्रतिशत अधिक है।

3. उपर्युक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है-

(i) श्री हरेन्द्र कुमार(आई0डी0-C140017), कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, वांका को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(ग) के तहत निलंबित किया जाता है।

(ii) निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय-मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में निर्धारित किया जाता है।

(iii) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत निलंबन अवधि में श्री कुमार को जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा ।

(iv) यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

18/8/26

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः-5432 /पटना, दिनांकः-18/8/26

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रतिलिपिः- श्री पंकज कुमार, पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, पटना को उनके पत्रांक-1780/23/2026/SVU/Pat. दिनांक-14.08.26 के आलोक में/श्री हरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/8/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः-5432 /पटना, दिनांकः-18/8/26

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/8/26

सरकार के अपर सचिव

कृ0पृ0उ0

D:\Amit Drive E\new folder\sankalp.docx

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांकः- 5432 /पटना, दिनांक- 18/8/26

प्रतिलिपिः- वित्त विभाग(ई-गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में (सी०डी० के साथ) प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु०-यथोक्त ।

18/8/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः- 5432 /पटना, दिनांकः-

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, बांका/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता एवं सभी अधीक्षण अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/8/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः- 5432 /पटना, दिनांकः- 18/8/26

परिचारी बही

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी, निगरानी स्वच्छता पटल, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/8/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः- 5432 /पटना, दिनांकः- 18/8/26

प्रतिलिपिः- आई०टी० कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आई०टी० मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त संकल्प को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने के साथ ही संकल्प का सी०डी० तैयार कर निर्गत शाखा/प्रेषण शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

18/8/26

सरकार के अपर सचिव

Scanned with OKEN Scanner